



फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर (ग्रामीण)।

स संख्या :- /20

ओमप्रकाश बनाम कजोड

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
05.09.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता रामरतन मीणा हाजिर। अप्रार्थी जवाब पेश हुआ है। दावा पर बहस सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 18.09.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"> उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)</p>	
18.09.2024	<p>पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। बहस वकील प्रार्थी की पूर्व में सुनी गई। वादी ओमप्रकाश पुत्र बद्रीनारायण का को विरासत के आधार पर खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में वादी के हक में नामान्तरण खोले जाने व अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय अनुसार डिकि जारी हो।</p> <p>पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;"> उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)</p>	